न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 206 सन् 2016

पंजीयन दिनांक :- 12.07.2016

1. लालसिंह पिता कालूसिंह राजपूत निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. भैरूसिंह पिता कालूसिंह राजपूत निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. नारायणलाल पिता गणेश जाट निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. मिट्ठुसिंह पिता करणसिंह राजपूत------मृत
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भदेसर केम्प कोर्ट कंथारिया
प्रकरण संख्या 144/2013 वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2016

उपस्थित- 1. छोगालाल जाट- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. शिवनारायण जाट- रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2- मृत
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय **दिनांक :- 08.06.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोनियाणा में खसरा संख्या 8, 24, 194, 208, 211, 213, 215 से 219, 226, 520 से 522 कुल किता 15 कुल रकबा 46.02 बीघा कृषि आराजीयात अवस्थित है जो चाह नम्बर 211 से सिंचित होती है। उपर्युक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 8 रकबा 13.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 24 रकबा 7.19 बीघा में वादी का 1/2 हक हिस्सा है। अतः हिस्से अनुसार मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावें।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की तलबी में नियत रहते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत केम्प कंथारिया में नियत की जाकर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28.05.2016 को लोक अदालत केम्प कंथारिया में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 मृत, रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र दिनांक 04.09.2013 को प्रस्तुत किया उससे पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की दिनांक 21.08.2008 को ही मृत्यु हो चुकी थी। मृत पक्षकार के विरूद्ध वादी कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता ना ही मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद चलने योग्य था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2015 को पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्षकारान की मौजूदगी में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया किन्तु तहसीलदार स्वयं ने मौके पर नही जाकर अपने अधीनस्थ कार्मिको से फर्द बंटवारा बिना पक्षकारान को सूचित किये पक्षकारान की गैरमाजूदगी में तैयार करवाकर प्रस्तुत कर दिया। प्रकरण में उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी सूचना के लोक अदालत केम्प दिनांक 28.05.2016 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये जो बिना किसी

राजीनामे के लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्तनीय होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत किये जाने की सूचना पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 लालसिंह व भैरूसिंह उपस्थित हुये और उन्होनें राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे हेतु सहमति दी तथा मौखिक बयान दिये। आपसी सहमति के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। आगामी तिथि को न्यायालय में उपस्थित होने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की स्वयं की थी। कमिश्नर तहसीलदार भदेसर द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर प्रस्तुत किया। मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुरूप पक्षकारान के हिस्से में बराबर बराबर रकबा रखते हुये फर्द बंटवारा तैयार किया गया जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण बंटवारे का इन्द्राज किया जा चुका है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत अपील के अपील मेमो में ''प्राथमिक अंतिम निर्णय व डिक्री'' के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना अंकित है जिससे यह स्पष्ट नही होता कि अपील किस निर्णय व डिक्री की प्रस्तुत की गई है। अंत में अपील सारहीन होना बताते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोनियाणा के विवादित कृषि आराजीयात किता 2 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावें। पत्रावली प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की तलबी में नियत रहते हुए दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत केम्प कंथारिया में नियत की जाकर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री जारी किये गये। आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 लालसिंह व भैरूसिंह लोक अदालत में उपस्थित हुये और उन्होनें राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे हेतु सहमति दी, मौखिक बयान दिये एवं प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मृत्यु की सूचना दी। तहसीलदार भदेसर को

विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया किन्तु उनके स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया ना ही पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाने पर भी बिना कायम मुकामी की कार्यवाही करवाये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28.05.2016 को लोक अदालत केम्प कंथारिया में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये, बिना सुनवाई के अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये जो विधिसम्मत नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की कायम मुकामी की कार्यवाही करवावे। कमिश्नर तहसीलदार भदेसर से स्वयं द्वारा मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभयपक्षकारान की मौजूदगी में आवश्यकतानुसार रास्ता रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर तलब करवाये जावे। उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत नवनिर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटाई जावें।

8/6/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)